राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1745/2014/उदयपुर

मैसर्स श्री नाथ इन्जिनियरिंग वर्क्स, उदयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

1. उपायुक्त (प्रशासन),
   वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर।
2. सहायक आयुक्त,
   वार्ड–चतुर्थ, वृत्त–बी, उदयपुर। .....प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक,
अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04.10.2016

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'प्रशासनिक अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपीलार्थी के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 34 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र दिनांक 18.07.2014 में पारित किये गये आदेश क्रमांक 15/14–15/कर/उपा(प्र) उदय दिनांक 18.07.2014 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक आयुक्त, वार्ड–चतुर्थ, वृत–बी, उदयपुर (जिसे आगे **'निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी के वर्ष 2008–09 का कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु जारी किये गये नोटिस की पालना में अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए वेट अधिनियम की धारा 24(3) के तहत एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.01.2011 पारित करते हुए रूपये 1,47,978/– की मांग सृजित की गयी। अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश को खोलकर पुनः कर निर्धारण की स्वीकृति हेतु प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत दिनांक 23.06.2014 को प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र प्रशासनिक अधिकारी के आदेश दिनांक 18.07.2014 से निरस्त किया गया। प्रशासनिक अधिकारी के उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि आलौच्य अवधि के कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई सम्मन अपीलार्थी पर तामील नहीं हुआ एवं नोटिस तामील करवाये बिना ही अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध मांग सृजित की गयी है। अतः पारित किया गया एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पूर्णतः अविधिक एवं

लगातार.....2

अनुचित हैं। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने में भी विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान अभिभाषक ने अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश व प्रशासनिक अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2008–09 के कर निर्धारण करने के लिये नोटिस दिनांक 14.01.2011 सुनवाई दिनांक 25.01.2011 को उपस्थित होने के लिये जारी किया गया। उक्त नोटिस पर तामिली सूचक हस्ताक्षर तो है परन्तु व्यवहारी अपीलार्थी ने इन हस्ताक्षरों को अपने अथवा अपने मैनेजर/किसी भी परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर होने से इन्कार किया गया एवं कथन किया गया कि उनकी फर्म के नाम के समान नाम वाली अन्य फर्म भी उदयपुर में है एवं कई बार ऐसा हुआ है कि हमारी डाक उनके पास पहुंच जाती है एवं उनकी डाक हमारे पास पहुंच जाती है। परन्तु इस संबंध में जारी कथित नोटिस उनकी फर्म को तामिल नहीं हुआ इसके संबंध में शपथ पत्र भी दिया जो पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा शपथ पत्र पर कोई विचार नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया यही माना जा सकता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है, जिसे न्यायसम्मत नहीं माना जा सकता एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त विपरीत पारित किया जाना प्रतीत होता है।

7. माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त **(2013) 4 टैक्स अपडेट पृष्ठ 05, 07 एवं 15** में उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों में भी यही मत प्रतिपादित किया गया है कि व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर पारित किया गया कर निर्धारण आदेश न्यायोचित नहीं माना जा सकता।

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए प्रशासनिक अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2014 एवं कर निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक 25.01.2011 अपास्त किये जाते हैं तथा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, इस आदेश प्राप्ति के 60 दिवस में नियमानुसार पुनः आदेश पारित करें।

9. निर्णय सुनाया गया।

4.10.2016

(मदन लाल)
सदस्य